न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 174/2020(2020/00251)

अनवान : –

1. होशियार सिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हेमराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. नरेन्द्र पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी गांधीबड़ी नाबालिंग जरिये दादा हेमराज पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. धोली पत्नी मातुराम जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
4. तारावती पुत्री हेमराज जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
5. ओ0बी0सी0 शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गांधीबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोशणात्मक</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान का तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री राजेश बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 19 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/23 के मु0न0 4 के किला न0 21, 22, 23, मु0 न0 5 के किला न0 25, मु0 न0 10 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 11 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 मु0 न0 14 के किला न0 1, मु0 न0 15 के किला न0 5, 6 कुल किता 23 की कुल 5.819 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला मुश्तर्का खाता में प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम 120 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा ख्यालीराम की खातेदारी हुआ करती थी। ख्यालीराम से वादभूमि [illegible] हेमराज ने कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल [illegible] अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पैतृक भूमि [illegible] है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हेमराज के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज को वादी के दादा ख्यालीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2029–38 चक 19 एएमएस के खाता संख्या 8 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि पर केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि रोही मौजा चक 19 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/23 के मु0न0 4 के किला न0 21, 22, 23, मु0 न0 5 के किला न0 25, मु0 न0 10 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 11 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 मु0 न0 14 के किला न0 1, मु0 न0 15 के किला न0 5, 6 कुल किता 23 की कुल 5.819 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला मुश्तर्का खाता में प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम 120 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी होशियार सिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा जमाबन्दी चक 19 एएमएस सम्वत 2074–77 खाता संख्या 23/23 प्रदर्श 1, भू प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी चक 19 एएमएस सम्वत 2029–38 खाता संख्या 8 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत गांधीबड़ी के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान [illegible] वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 धोली प्रतिवादी [illegible] की माता है, प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष के पिता की लगभग 14 वर्ष पूर्व देहान्त [illegible] गया था, देहान्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 धोली ने दूसरी जगह शादी कर ली है। राजीनामा में भी धोली ने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अपना हिस्सा तर्क कर लिया है। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद स्वीकार किया जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद भूमि रोही मौजा चक 19 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/23 के मु0न0 4 के किला न0 21, 22, 23, मु0 न0 5 के किला न0 25, मु0 न0 10 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 11 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 मु0 न0 14 के किला न0 1, मु0 न0 15 के किला न0 5, 6 कुल किता 23 की कुल 5.819 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला मुश्तर्का खाता में प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम 120 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 एएमएस के वर्तमान खाता सं 23/23 के मु0न0 4 के किला न0 21, 22, 23, मु0 न0 5 के किला न0 25, मु0 न0 10 के किला न0 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 11 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 मु0 न0 14 के किला न0 1, मु0 न0 15 के किला न0 5, 6 कुल किता 23 की कुल 5.819 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला मुश्तर्का खाता में प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज के नाम 120 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी होशियार सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 हेमराज, प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र **को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे खर्चा पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ (मुहर)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़